भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4964
जिसका उत्तर सोमवार, 23 मार्च, 2026
02 चैत्र, 1948 (शक) को दिया जाना है

केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारित्ता

4964. डॉ. काकोली घोष दस्तीदारः

क्या ***वित्त*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सीपीएसई) की सूची क्या है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं,

(ख) इनमें से प्रत्येक केन्द्रीय सरकारी उद्यम में सार्वजनिक शेयरधारिता का पैटर्न क्या है और इसमें कमी के क्या कारण है

(ग) ऐसे प्रत्येक केन्द्रीय सरकारी उद्यम में न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता प्राप्त करने के लिए क्या समयबद्ध योजना है और इसके शत प्रतिशत अनुपालन हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) क्या कोई रियायत या छूट प्रदान की गई है और यदि हां, तो दी गई छूट का केन्द्रीय सरकारी उद्यम-बार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त राज्यमंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ) : प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियमावली, 1957 (एससीआरआर) का नियम 19ए अधिदेशित करता है कि सभी सूचीबद्ध कंपनियों को कम से कम 25% की न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) बनाए रखनी चाहिए। वर्तमान में 67 सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में से 57 सूचीबद्ध सीपीएसई ने एमपीएस मानदंडों को पूरा कर लिया है। शेष 10 का विवरण नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	सार्वजनिक शेयरधारिता (*) (%)
1.	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	10.75
2.	फर्टिलाईजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	10.00
3.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड	6.31
4.	भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	12.97
5.	इंडियन रेलवे फाइनैन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	15.35
6.	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	9.98
7.	केआईओसीएल लिमिटेड	0.97
8.	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	18.78
9.	एमएमटीसी लिमिटेड	10.07
10.	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10.00

(*) स्रोत: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज

ये सीपीएसई विभिन्न परिचालानात्मक एवं वित्तीय अवरोधों के कारण न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) मानदंडों का अनुपालन करने में अक्षम रहे हैं। इनके मुख्य कारणों में कमजोर वित्तीय स्थितियां, प्रतिकूल बाजार परिस्थितियां, मूल्यांकन संबंधी शंकाएं और निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता स्तर को प्राप्त करने के लिए हिस्सेदारी में काफी बड़े विलयन की आवश्यकता जैसे अलग-अलग कारण हो सकते है। इन चुनौतियों को देखते हुए, सेबी द्वारा एमपीएस मानदंडों के अनुपालन हेतु समय-समय पर छूट प्रदान की गई है।
